(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78) O.I.G.S. डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

राजस्थान
रोज़गार संदेश
पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 9 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 जून, 2022 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक : प.14(96)RSSB/अर्थना/कृ.आ./कनि.अभि./भर्ती/2022/543 दिनांक : 03.06.2022

-: विज्ञापन सं. 07/2022 :-

कनिष्ठ अभियन्ता(कृषि) सीधी भर्ती - 2022

कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 144 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 45 कुल 189 के पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (Online Application Form) **आमंत्रित किये जाते हैं।**

विशेष नोट :-

(1) **Online Application Form** में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**

(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:- बोर्ड द्वारा आवेदन Online Application Form लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी **विस्तृत विज्ञापन** एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें।

1. **ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाईन पोर्टल http://rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से Login पर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।**
2. **अभ्यर्थी** द्वारा **One Time Registration (OTR) कमांक जनरेट होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/डाईविंग लाईसेन्स आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।**
3. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरूस्त करा लेना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी अपना **OTR रजिस्ट्रेशन** आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र कमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transcation का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
9. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र कमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Sumbit नहीं माना जायेगा।**
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करे। ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 एवं ऑनलाईन आवेदन सबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें।
11. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वंतत्र होगा।

(क्रमशः)

2. **<u>आवेदन एवं परीक्षा शुल्क</u>**:— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई—मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाईन जमा करवायें।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —**रूपये 450/—**

(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु —**रू 350/—**

(ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —**रूपये 250/—**

(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क—2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क **रूपये 250/—**देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें।)

नोटः—

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वें परीक्षा शुल्क रूपयें 250/— ही जमा कराते है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. **<u>प्रवेश पत्र</u>**:—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश—पत्र जारी किये जाएगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश—पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश—पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश—पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई—मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. <u>कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:—</u>

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र

दण्डवत आरक्षण(Vertical Reservation)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
144	36	11	04	01	16	05	01	—	12	04	01	—	21	07	02	—	05	02	—	—	10	03	01	—	—	—	—	—

क्षैतिज आरक्षण(Horizontal Reservation)					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
(B/LV)	(HI)	(LD/CP)	I.D, M.I., S.L.D. & AUTISM		
02	02	01	01	17	02

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

दण्डवत आरक्षण(Vertical Reservation)

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
45	17	05	01	—	02	—	—	—	14	05	01	—

क्षैतिज आरक्षण(Horizontal Reservation)					
विशेष योग्यजन				भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
(B/LV)	(HI)	(LD/CP)	I.D, M.I., S.L.D. & AUTISM		
01	01	—	—	05	—

<u>नोटः—</u>

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नही करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नही किया जायेगा।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगें। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जावेगा।
3. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाडी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (**Horizontal**) से होगा।
4. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जा सकती हैएवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

<u>विशेष सूचनाः—</u>

1. कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
   यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप—नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
   परन्तु यह और कि इस उप—नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. **राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा।**

(क्रमशः)

3. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा।** महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण- किसी वर्ग (अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विच्छिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। **विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

5. **अति पिछड़ा वर्ग** के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।

6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये** राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

7. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु **आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**

8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

9. **बारां जिले की सहरिया आदिम जाति** के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हे बारां जिले मे सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।

10. **भूतपूर्व सैनिकों हेतुः**-(क) भूतपूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक :-
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नही होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।
भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988** के प्रावधानो के अनुसार **भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है।** भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। **कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(18) डीओपी/ए-II/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार "भूतपूर्व सैनिक" के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।**
"कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।"
"यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।";
यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नही करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा ततपश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जावेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाडी के पदों हेतुः- उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नही की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-II/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :-कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-II/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार "उत्कृष्ट खिलाडी" से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :-
1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट /चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोटः- कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। **उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

12. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :-

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अर्न्तगत निम्न लिखित श्रेणी के दिव्यांगजन को ही आरक्षण का लाभ देय है :-
   i. B/LV (Blindness/ Low vision)
   ii. HI(Hearing Impairment)
   iii. LD/CP(Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid attack victims & Muscular dystrophy
   iv. Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disability & Mental Illness.
   v. Multiple Disabilities from amongst persons under clauses (i) to(iv) including deaf- blindness in the posts indentified for each disabilities.

b. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

d. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। **दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

e. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का **स्पष्ट** प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक **विशेष** योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

f. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(8) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।",

(क्रमशः)

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वय या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधितके प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 (बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुन: परिनिश्चित (Redefined) किया गया है।अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यकम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमानः-

राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतनमान के अनुसार **कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि)** के पद हेतु **पे मैट्रिक्स लेवल-10** देय है।

अन्य शर्तें :-

(1.)सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।

(2.)सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः-

(i) भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक।

(ii)देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यकम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा,-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

नोटः-इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगें परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताऐं :-

(1) **स्वास्थ्यः**- उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो।

8. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड.) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोटः-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियो को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.आयुः-

आवेदक 1, जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु "जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः- **कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि)** के पदों पर भर्ती वर्ष 2015 के बाद नही होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा मे 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में -

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी है, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पाने से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।
4. एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम स्वरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आवधि 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुई हो।
5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे आयु सीमा के भीतर थे, जब वे शुरू में नियुक्त किए गये थे, भले ही वे आयु सीमा पार कर चुके हो, जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो, और दो अवसरो तक की अनुमति दी जावेगी, जैसे वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय पात्र थे।
6. सेना मे मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियो के मामलें मे निर्धारित आयु सीमा मे माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हो जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो।
7. 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से वापस भारत आये व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नही होगी।
8. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों एवं भूतपूर्व सैनिको के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु क्रास/वीर चक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 02 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट/II दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।
9. विधवाओं और विछिन्न विवाह महिलाओं के मामलें में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहियें।
10. राज्य सरकार, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपकम/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
11. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021, के नियम 6(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

स्पष्टीकरण :- विधवा महिला के मामले मे उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

नोटः-

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवेदक के अधिकायु का होने पर उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये **राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम-1978 यथा संशोधित** एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त बिन्दु 9 की क.सं. 1 से 11 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 11 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. पेंशनः-

राज्य कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयनः-

शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः-

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 07.06.2022 से दिनांक 06.07.2022** को रात्रि 23.59 बजे तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 07.06.2022 से दिनांक 06.07.2022** को रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांकः-

कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक **10 सितम्बर, 2022** को आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :-

सभी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपकमों में नियुक्त है, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताऐं :-

(1)किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

(2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।

(3)कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो ।

(4)ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,

(क्रमशः)

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानो की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छदमकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने, या कांट–छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए, स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred)कर दिया जायेगा।

16. आवेदन कैसे करे:–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट– राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एव नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:–

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनाक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध मे चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम मे सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम मे करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र मे की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जॉच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालो द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोडी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm × 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 × 320 एवं अधिकतम 480 × 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8.हस्ताक्षर अपलोड़ करने के लिए दिशा–निर्देश :–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नही होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गयेआवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 × 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 × 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:–

1. परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तार कुंजी(Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आंमत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/– रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रकिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड/रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा मे परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई–प्रवेश पत्र ही कक्ष में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई–प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा–निर्देशो की पालना सुनिश्चित् करनी होगी।

17. श्रुत लेखन की सुविधा:–

सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त (जो बांह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगे,परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आंवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

18. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रकिया:–

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile** में दर्शाये गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:–

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/– रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम, जन्मतिथि, लिंग के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा।

   ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रकिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान ही होगी।
2. बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 24.03.2021 की पालना मे यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन मे त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमे अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/– रूपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी, क्षैतिज श्रेणी, विशेष श्रेणी/उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता–पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता–पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में) पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

19. प्रमाण–पत्रों का सत्यापन:–

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध मे उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जावेगा।

1. **जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण–पत्र दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :–**
   - i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नही होने संबधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ–पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
   - ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता हैं।
   - iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछडा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति/आय प्रमाण–पत्र नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ11( )/आ.क.व/डीडीवीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि राज्य के लिए जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ–पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जावेगा, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है।
5. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:–

आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही–सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016" के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :–

कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

22. बोर्ड की वेबसाइट:–

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर मे स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

डी.आई.पी.आर/सी/7698/2022 रा.रो.सं 21/2022

नागरिक समूह 'सी' मुख्यालय दक्षिणी कमान की सीधी भर्ती

1. नीचे बताए गए पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 25 जुलाई, 2022 के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत स्वप्रमाणित आवेदनपत्र, Military Hospital Chennai में पहुंच जाना चाहिए.

क्र. सं.	पद /इकाई का नाम	पदों की सं.	श्रेणीवार वितरण							पे मैट्रिक्स	उम्र	योग्यता
			यूआर	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	अन्य पिछड़ा (OBC)	ईडब्ल्यूएस (EWS)	ईएसएम कोटा (ESM)	PH			
01	धोबी	39	19	04	03	07	06	08	01 VH	एल-1	18-25 वर्ष	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष. (ii) सैन्य/असैनिक कपड़ों को अच्छी तरह धोने में सक्षम होना चाहिए.
02.	ट्रेड्समेन मेट (Tradesman Mate)	26	20	01	-	04	01	03	01 HH 01 ID	एल-1	18-25 वर्ष	**आवश्यक :** मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास या समकक्ष. **वांछित :** व्यापार में एक वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित ट्रेडों के कर्तव्यों से परिचित.

नोट -

(क) चयनित उम्मीदवार को मुख्यालय दक्षिणी कमान के तहत किसी भी एएमसी इकाई में कहीं **भी तैनात किया जा** सकता है.

(ख) उपयोग किया गया संक्षिप्त नाम : यूआर - अनारक्षित, **एससी- अनुसूचित** जाति, **एसटी** -अनुसूचित जनजाति, **ओबीसी-** अन्य पिछड़ी जाति, **ईडब्ल्यूएस-** आर्थिक **रूप से कमजोर** वर्ग, **ईएसएम-** भूतपूर्व सैनिक, **वीएच**- दृष्टिबाधित, **एचएच**- सुनने की कमी, **आईडी- बौद्धिक** विकलांगता.

(ग) आवेदन की अंतिम तिथि तक भारत सरकार के आदेश के **अनुसार किसी** व्यक्ति की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए. भारत सरकार द्वारा निर्धारित **सक्षम प्राधिकारी** से विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए.

2. **परीक्षा का स्थान और तिथि** : बाद में सूचित **किया जाएगा.**

3. उम्मीदवारों को एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से **रखा जाएगा.** चयन मौजूदा सरकार के **नियमों के अनुसार किया** जाएगा. चयन लिखित परीक्षा में योग्यता और स्किल/ट्रेड टेस्ट में गुणवत्ता, यदि कोई **हो, के आधार पर सख्ती** से किया जाएगा.

4. **उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-**

क्रमांक	महत्वपूर्ण निर्देश
(ए)	**आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2022 है।**
(बी)	डाक में किसी भी प्रकार की देरी या विफलता के **लिए इकाई/प्रतिष्ठान जिम्मेदार** नहीं होगा.
(सी)	केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत **व्यक्तियों को अपने** प्रतिष्ठान से प्रमाणपत्र के साथ उचित माध्यम से आवेदन करना होगा कि उनके खिलाफ **कोई अनुशासनात्मक** कार्रवाई विचाराधीन/लंबित नहीं है और चयन के मामले में उन्हें जारी करने में **उन्हें कोई** आपत्ति **नहीं** है.
(डी)	01 जनवरी, 2004 को या उसके बाद प्रवेश करने वाले सरकारी **सेवा में** नए **प्रवेशकों को नई परि**-भाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है) **द्वारा शासित किया जाता है.**
(इ)	पदों की संख्या में परिवर्तन की संभावना है. भर्ती के लिए अतिरिक्त/अतिरिक्त या उच्च योग्यता के लिए कोई अतिरिक्त भार आयु नहीं दी जाएगी.
(एफ)	यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मूल चयन मानदंड को पूरा करने से कोई व्यक्ति लिखित या कौशल/व्यापार परीक्षा के लिए बुलाए जाने का पात्र नहीं हो जाता है.
(जी)	पदों पर अखिल भारतीय सेवा दायित्व होता है अर्थात व्यक्ति को भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है.
(एच)	सभी उम्मीदवारों को आवेदन में चिपकाने के अलावा **"Public Fund Account, MH Chennai"** के पक्ष में 100 रु. के पोस्टल ऑर्डर के रूप में स्वयं का पता लिखा लिफाफा और शुल्क संलग्न करना होगा और दो हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न करने होंगे. भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार शुल्क में छूट दी जाएगी. पोस्टल ऑर्डर विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि को या उसके बाद जारी किया जाना चाहिए. आवेदन शुल्क नॉन-रिफंडेबल है. हालांकि, स्थानीय रोज़गार कार्यालयों, जेडएसडब्ल्यूओ कार्यालय, सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन या भारत सरकार की किसी अन्य एजेंसी आदि द्वारा प्रायोजक उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करना होगा.
(जे)	पूर्व सैनिकों के मामले में सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्र, पीपीओ की प्रति और डिस्चार्ज बुक की प्रति स्व- सत्यापन के बाद संलग्न की जाएगी. भारतीय राष्ट्रीयता के प्रयोजन के लिए निम्न-लिखित में से किसी एक दस्तावेज को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए. (i) जन्म प्रमाणपत्र (ii) घरेलू प्रमाणपत्र (iii) राष्ट्रीयता प्रमाणपत्र (iv) भारतीय पासपोर्ट (v) स्थायी निवास प्रमाणपत्र
(के)	यदि विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक है और सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा की व्यवस्था करना सुविधाजनक या संभव हुआ तो इकाई, विज्ञापन या अनुभव में निर्धारित अंकों के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.
(एल)	उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से ''......... के पद के लिए आवेदन'' और बड़े अक्षर में श्रेणी लिफाफे के शीर्ष पर होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को भी लिफाफे के बाएं कोने पर अपनी श्रेणी लिखनी चाहिए.
(एम)	प्रत्येक आवेदक को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा.
(एन)	**अधूरा या** अहस्ताक्षरित आवेदन और बाएँ/दाएँ अंगूठे के निशान के बिना या आवेदन प्राप्त होने की **अंतिम तिथि के बाद** इकाई में प्राप्त प्रमाणपत्र या आवेदन की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ या बिना अतिरि**क्त तस्वीरों के** विधिवत स्वप्रमाणित आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा इस संबंध में कि**सी भी पत्राचार** पर विचार नहीं किया जाएगा.
(ओ) (पी)	आवेदन उम्मीदवा**रों द्वारा या तो** अंग्रेजी / हिंदी में भरा जा सकता है. किसी भी पद के लि**ए यात्रा करने** पर कोई बोर्डिंग या आवास/खर्च प्रदान नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था **स्वयं करनी हो**गी.
(क्यू)	आवेदन केवल पंजीकृत **डाक या स्**पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा. आवेदन को **" The Commandant, Military Hospital, Defence Colony Road, Chennai, Tamilnadu, Pin-600032"** को संबोधित किया जाना चाहिए.
(आर)	**परीक्षा के दौरा**न अनुचित **साधनों** का प्रयोग कदाचार माना जाएगा और उम्मीदवार की अयोग्यता का **कारण बनेगा.** लिखित **परीक्षा में नें**गेटिव मार्किंग हो सकती है.

5. **अस्वीकृति** : निम्नलिखित **कृत्य/चूक** एक उम्मीदवार/आवेदन को अयोग्य घोषित कर देगा.

(ए) झूठी गलत या छेड़**छाड़ की गई** जानकारी प्रस्तुत करना.

(बी) आवेदनपत्र का **गलत भरना.**

(सी) अधि**कारी मंडल द्वारा देखे** गए कोई अन्य कारण.

(डी) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना.

6. आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2022 **से** और असम, **मेघालय, अरुणाच**ल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख उप-मंडल, हिमाचल **प्रदेश के पांगी उप-**मंडल के लाहौल और स्पीति जिले और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में उम्मीदवार **के लिए** 2 अगस्त, 2022 होगी।

7. लिखित/शारीरिक/व्यापारिक परीक्षा के **दौरान होने वाली** किसी भी चोट के लिए इकाई जिम्मेदार नहीं होगी.

8. कुछ बेईमान तत्व अवैध परितोषण के **माध्यम से** आपके लिए नियुक्ति प्राप्त करने के आश्वासन के साथ आपसे संपर्क कर सकते हैं. आपको इस तरह के झूठे आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और ऐसे तत्वों को किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाता है और आश्वस्त किया जाता है कि चयन परीक्षा केवल पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर की जाएगी.

9. परीक्षापत्र और उनका वितरण :-

कागज़	विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक	परीक्षा की अवधि
पेपर -I	जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग (ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप)	25	25	2 घंटे
पेपर -II	सामान्य जागरूकता (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार)	50	50	
कागज-III	सामान्य अंग्रेजी (वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार)	50	50	
पेपर -IV	न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड (ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप)	25	25	

लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र द्विभाषी होंगे अर्थात अंग्रेजी और हिंदी. हालांकि, अंग्रेजी भाषा विषय के प्रश्न केवल अंग्रेजी में होंगे. **(ट्रेड्समेन मेट, धोबी)** के पद के लिए प्रश्न 10वीं कक्षा का होगा. निगेटिव मार्किंग भी हो सकती है.

10. आयु / शुल्क / चिकित्सा परीक्षा /उपयुक्तता के मानक में छूट :

किसी भी श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार पर छूट आवेदन की अंतिम तिथि तक डीओपी एंड टी के आदेशों के अनुसार होगी.

स्थानक सीओ/ओसी

महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली
कार्मिक निदेशालय-भर्ती अनुभाग
सीसुब में एसएमटी (वर्कशॉप) की भर्ती के लिए विज्ञापन

सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार में एसएमटी (वर्कशाप) के लिए समूह 'ख' और 'ग' में निम्नलिखित काम्बेटाइज़्ड (अराजपत्रित) पदों में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन पद्धति से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

पदों के नाम	श्रेणीवार रिक्तियां					कुल	भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्ति					वेतनमान	शैक्षणिक अर्हता
	अना	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजा	अजजा		अना	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजा	अजजा		
समूह 'ख' पद													
एसआई (वाहन मैकेनिक)	03	01	04	03	01	**12**	01	-	-	-	-	7वें कें.वे.आ के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 (रु. 35400-112400/-)	सरकार से मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम तीन वर्षीय डिप्लोमा.
एसआई (ऑटो इलेक्ट्रिशियन)	02	01	-	01	-	**04**	-	-	-	-	-		
एसआई (स्टोर कीपर)	02	01	02	01	-	**06**	-	-	-	-	-		
कुल रिक्ति	**07**	**03**	**06**	**05**	**01**	**22**	**01**	**-**	**-**	**-**	**-**		

पदों के नाम	श्रेणीवार रिक्तियां					कुल	भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्ति					वेतनमान	शैक्षणिक अर्हता
	अना	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजा	अजजा		अना	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजा	अजजा		
समूह 'ग' पद													
सिपाही (ओटीआरपी) पुरुष	01	02	03	01	01	08	-	-	-	-	-	7वें कें.वे.आ के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर-3 (रु. 21700-69100/-)	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा 10वीं श्रेणी उत्तीर्ण और **(क)** संबंधित ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाणपत्र, अथवा **(ख)** प्रतिष्ठित फर्म से संबंधित ट्रेड में तीन वर्ष का कार्यानुभव.
सिपाही (ओटीआरपी) महिला	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-		
सिपाही (एसकेटी) पुरुष	05	-	-	01	-	06	-	-	-	-	-		
सिपाही (फिटर) पुरुष	01	-	04	01	-	06	-	-	-	-	-		
सिपाही (फिटर) महिला	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-		
सिपाटी (कारपेंटर) पुरुष	03	-	01	-	-	04	-	-	-	-	-		
सिपाही (ऑटो इले.) पुरुष	03	01	03	-	02	09	01	-	-	-	-		
सिपाही (ऑटो इले.) महिला	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-		
सिपाही (वाहन मैके.) पुरुष	10	03	04	-	-	17	01	-	01	-	-		
सिपाही (वाहन मैके.) महिला	03	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-		
सिपाही (बीएसटीएस) पुरुष	-	01	01	01	03	06	-	-	-	-	-		
सिपाही (बीएसटीएस) महिला	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-		
सिपाही (वेल्डर) पुरुष	07	02	-	01	-	10	01	-	-	-	-		
सिपाही (वेल्डर) महिला	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-		
सिपाही (पेंटर) पुरुष	01	01	-	01	01	04	-	-	-	-	-		
सिपाही (अपहोल्सटर) पुरुष	01	01	01	02	-	05	-	-	-	-	-		
सिपाही (टर्नर) पुरुष	03	-	-	01	01	05	-	-	-	-	-		
कुल रिक्ति	**43**	**11**	**17**	**09**	**08**	**88**	**03**	**-**	**01**	**-**	**-**		

टिप्पणी: (i) रिक्तियां परिवर्तन के विषयाधीन हैं (बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं)

(ii) **अंतिम तिथि: सभी उम्मीदवारों के लिए** 10 जुलाई, 2022 है।

(iii) कोई भी संशोधन केवल सीसुब वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा. उम्मीदवारों **को उनके अपने हित में अनुरोध किया जाता है** कि वे अद्यतन जानकारियों के लिए नियमित रूप से **https://rectt.bsf.gov.in** लॉग ऑन करते रहें.

(iv) आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि होगी.

(v) यदि भूपूसै उम्मीदवार पात्र नहीं पाया जाता है, रिक्ति संबंधित श्रेणी से भर ली जाएगी.

(vi) यदि महिला उम्मीदवार पात्र नहीं पाई जाती हैं, रिक्ति संबंधित श्रेणी से भर ली जाएगी.

2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए **https://rectt.bsf.gov.in** लॉग इन करें.

3. इस भर्ती के संबंध में आगे कोई भी सूचना/अधिसूचना केवल सीसुब वेबसाइट में जारी की जाएगी. अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय **पर सीसुब** वेबसाइट को लॉग इन करते रहें.

(के एस राणा)
कमांडेंट (भर्ती)

रोजगार के अवसर

(संक्षिप्त जानकारी)

आइएसआइसीएएल
पद - **रिसर्च एसोसिएट**
पद संख्या - **कुल 12 पद**
अंतिम तिथि - **22 जून, 2022**
https//web.isical.ac.in/

डीआरडीओ
पद - **साइंटिस्ट**
पद संख्या - **कुल 58 पद**
अंतिम तिथि - **28 जून, 2022**
https//www.drdo.gov.in/

यूपीआरवीयूएनएल
पद - **चीफ केमिस्ट व अन्य**
पद संख्या - **कुल 62 पद**
अंतिम तिथि - **25 जून, 2022**
https://www.uprvunl.org/

आईडीबीआई बैंक
पद - **एग्जीक्यूटिव व अन्य**
पद संख्या - **कुल 1544 पद**
अंतिम तिथि - **17 जून, 2022**
https://www.idbibank.in/

साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे
पद - **अप्रेंटिस**
पद संख्या - **कुल 465 पद**
अंतिम तिथि - **22 जून, 2022**
https//secr.indianrailways.gov.in/

आईआरसीओएन
पद - **वर्क लीडर, कैम इंजीनियर आदि**
पद संख्या - **कुल 56 पद**
अंतिम तिथि - **1 जुलाई, 2022**
https//www.ircon.org/

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
पद - **हेड कॉन्स्टेबल व अन्य**
पद संख्या - **कुल 281 पद**
अंतिम तिथि - **28 जून, 2022**
https://bsf.gov.in/

आईएआरआई
पद - **असिस्टेंट**
पद संख्या - **कुल 462 पद**
अंतिम तिथि - **21 जून, 2022**
https://www.iari.res.in/

सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन्हें 'ग्लोबल हैल्थ अवॉर्ड' से सम्मानित किया है?
(अ) आँगनवाड़ी कार्यकर्ता (ब) CMHO
(स) आशा कार्यकर्ता (द) इनमें से कोई नहीं

2. जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कर दिया है?
(अ) 4.2 (ब) 4.9
(स) 5.1 (द) 4.3

3. जयपुर एवं कोटा के बीच ''भटवाड़ा का युद्ध'' कब लड़ा गया थो?
(अ) 1761 में (ब) 1748 में
(स) 1768 में (द) 1745 में

4. आदिवासियों का कुम्भ कहाँ लगता है?
(अ) डूँगरपुर (ब) उदयपुर
(स) बाड़मेर (द) जालोर

5. जून 2022 में चैथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एसएफएसआई) में राजस्थान कौनसे स्थान पर है?
(अ) पहले (ब) तीसरे
(स) पांचवे (द) दसवे

6. खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कौनसा राज्य कर रहा है?
(अ) राजस्थान (ब) उड़ीसा
(स) पंजाब (द) हरियाणा

7. सन् 1870 में महारावल लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा राज्य में सोन-चांदी व तांबे के सिक्के चलाये जिन्हे कहा जाता था?
(अ) रामशाही सिक्के (ब) लक्ष्मणशाही सिक्के
(स) अखैशाही सिक्के (द) इनमें से कोई नहीं

8. हाल ही में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया?
(अ) जैसलमेर (ब) बूंदी
(स) अलवर (द) पाली

9. हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को भगवान बुद्व राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया?
(अ) प्रो. रवि सिन्हा (ब) प्रो. अरविंद विक्रम सिंह
(स) प्रो. महावीर प्रसाद (द) इनमें से कोई नहीं

10. हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है?
(अ) राजस्थान (ब) असम
(स) पंजाब (द) इनमें से कोई नहीं

11. हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्धाटन किसने किया?
(अ) अरविंद केजरीवाल (ब) हरदीप सिंह पुरी
(स) अमित शाह (द) इनमें से कोई नहीं

12. 10 जून 2022 को किस जिला प्रशासन द्वारा 'नन्ही परी कार्यक्रम' शुरू किया गयो?
(अ) दिल्ली (ब) जोधपुर
(स) पटना (द) इनमें से कोई नहीं

13. पादप में जाइलम क्या कार्य करता है?
(अ) ऑक्सीजन का वहन (ब) अमीनो अम्ल का वहन
(स) जल का वहन (द) भोजन का वहन

14. कौन सा ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है?
(अ) कॉलेंकाइमा (ब) स्कलेरेकाइमा
(स) पेरेंकाइमा (द) इनमें से कोई नहीं

15. इलेक्ट्रॉन-वोल्ट किसका मात्रक है?
(अ) उर्जा का (ब) गति का
(स) द्रव का (द) इनमें से कोई नहीं

उत्तरमाला

1(स) 2(ब) 3(अ) 4(अ) 5(द) 6(द) 7(ब) 8(द) 9(ब) 10(अ) 11(स) 12(अ) 13(स) 14(ब) 15(अ)

सैनिक स्कूल झुंझुनू

(सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित आवासीय विद्यालय)
ग्राम एवं पोस्ट-दोरासर, जिला - झुन्झुनू (राजस्थान) 333021
ईमेल - ssjjn@rajasthan.gov.in वेबसाइट - www.ssjhunjhunu.com

रिक्ति अधिसूचना

1. सैनिक स्कूल झुंझुनू निम्न पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:-

Ser No.	Name of Post	Category	Age
(a)	01x TGT, Mathematics (Regular)	OBC	Between 21 years to 35 years as on **30 Jul 2022**
(b)	01x TGT, Hindi (Regular)	OBC	

2. भर्ती प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट के रिक्रूटमेंट संभाग में उपलब्ध है.

3. **आवेदन शुल्क 500/- जनरल श्रेणी/ओबीसी के लिए और रु. 250/- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए.**

4. आवेदन निर्धारित प्रारूप (विद्यालय की वेबसाइट के रिक्रूटमेंट संभाग में उपलब्ध) में दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ **दिनांक 02 जुलाई 2022 तक विद्यालय कैंपस में पोस्ट ऑफिस डाक सेवा द्वारा पहुँच जाने चाहिये.**

महत्वपूर्ण सूचना:-भर्ती प्रक्रिया हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी. सभी अभ्यर्थी, भर्ती प्रकिया संबंधित जानकारी हेतु स्कूल की वेबसाइट में रिक्रूटमेंट/ न्यूज़ अनुभाग नियमित देखते रहें.

प्रधानाचार्य

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद
Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad

भर्ती सूचना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद निम्नलिखित पद के लिए आवेदनपत्र आमंत्रित करता है :

क्र. सं.	पद का नाम	संवर्ग	वेतन स्तर	शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव
1.	काउंसलर आयु सीमा: 40 वर्ष	अना (1 पद)	10	**अनिवार्य:** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में एम.ए/एम.एससी. तथा मनोविज्ञान में स्नातक न्यूनतम 55% अंकों के साथ. **अनुभव :** 05 वर्षों का परामर्शन अनुभव, जिसमें एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में 01 वर्ष का नैदानिक अनुभव शामिल है तथा एक नियमित पूर्णकालिक काउंसलर के पद में 03 वर्षों का अनुभव, अधिमानतः एक शैक्षिक/परामर्शन केंद्र में. अच्छा मौखिक, लिखित कौशल चाहिए, विविध प्रकार के छात्रों को पर्याप्त रूप से संचारित करने तथा आबादी को नियोजित करने हेतु योग्यता. **अभ्युक्तियां :** पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है जो निम्नलिखित संवर्गों को मानक निःशक्ताओं युक्त हैं (क) क्षीण दृष्टि (ख) श्रवण बाधा तथा (ग) गतिविषयक निःशक्तता प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, उपचारित, कुष्ठरोग, बौनापन, तेजाब हमले के शिकार तथा मांसपेशीय दुर्बलता सहित.

पूर्ण विवरणों के लिए **संस्थान की** वेबसाइट: **www.iitism.ac.in** देखें. लिंक **https://nfr.iitism.ac.in/index.php/recruitment/User_login** पर उपलब्ध गैर-संकाय भर्ती माड्यूल का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 10-07-2022 है.

कुलसचिव (का.)

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन - 014193981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर